कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,
उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), सीतापुर।

साईं आर्शीवाद भवन, केशव ग्रीन सिटी, N.H. 24 शाहजहाँपुर बाईपास, सीतापुर, e-mail: eeruralsitapur@gmail.com

पत्र संख्याः 2558 / M-16 /116 दिनांकः 19/04/2026

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
सीतापुर।

विषयः— दैनिक भास्कर समाचार पत्र में " **जल निगम की गलती, खामियाजा भुगत रहे ग्रामीण** " शीर्षक से प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भास्कर समाचार पत्र में " **जल निगम की गलती, खामियाजा भुगत रहे ग्रामीण** " शीर्षक से दिनांक 19.04.2026 को प्रकाशित खबर की तथ्यात्मक आख्या निम्नवत् है।

प्रकाशित खबर विकास खण्ड खैराबाद की ग्राम पंचायत अकबरगंज व अकबरपुर खुर्द समूह ग्रामीण पेयजल योजना से सम्बन्धित है।

अकबरगंज व अकबरपुर खुर्द समूह ग्रामीण पाइप पेयजल योजना का निर्माण कार्य कार्यदायी फर्म मेसर्स एन0सी0सी0 लि0 द्वारा किया जा रहा है। योजना अन्तर्गत 01 नग नलकूप, 01 नग पम्प हाउस, 01 नग शिरोपरि जलाशय, 01 नग सोलर सिस्टम, 01 नग बाउण्ड्रीवाल, 16.12 कि0मी0 वितरण प्रणाली एवं 980 नग गृह जल संयोजन प्रस्तावित है। जिसके सापेक्ष 01 नग नलकूप, 01 नग पम्प हाउस, 01 नग शिरोपरि जलाशय, 01 नग सोलर सिस्टम, 01 नग बाउण्ड्रीवाल, 11.20 कि0मी0 वितरण प्रणाली एवं 562 नग गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। पाइपलाइन बिछाने के दौरान तोड़ी गई सड़कों की अस्थायी (मोटरेबल) पुनर्स्थापना का कार्य तत्काल करा दिया गया है, स्थायी पुनर्स्थापना का कार्य पाइपलाइन ज्वाइंटिंग व टेस्टिंग के पश्चात कराया जाता है। वर्तमान में पाइपलाइन ज्वाइंटिंग व टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है। जिसके अन्तर्गत लीकेज एक सामान्य प्रकिया है। योजना अन्तर्गत मटमैले पानी की शिकायत संज्ञान में आयी है जिसे तत्काल बन्द करा दिया गया है।

योजना के समस्त अवशेष कार्य पूर्ण कराने हेतु सम्बन्धित फर्म को निर्देशित कर दिया गया है। पेयजल योजना के समस्त कार्यो को दिसम्बर 2027 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। निर्धारित समयावधि में सभी अवशेष कार्यों को पूर्ण कराते हुये शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या आप महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

Santosh

कृ0 **अधिशासी अभियन्ता**

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, (ग्रामीण) लखनऊ।
2. जिला सूचना अधिकारी, सीतापुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को इस निर्देश के साथ कि योजना के अवशेष कार्यो को फर्म के माध्यम से पूर्ण कराते हुये नियमित जलापूर्ति प्रदान कराना सुनिश्चित करें।
4. मेसर्स एन0सी0सी0 लि0 को इस निर्देश के साथ कि अवशेष कार्यो को पूर्ण कराते हुये नियमित जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता